राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 31 जुलाई, 2018 / 9 श्रावण, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
VIPNAN BHAWAN, KHALINI, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2018

HMB-(F)8-3/95 Vol. VII.— In continuation to previous notification dated 23rd March, 2017 the Agricultural Produce Market Committee (Shimla & Kinnuar) is further authorized to re-install the check posts at (1) Soghi, and (2) Neripul with an object to record flow of agricultural produce into and from its notified market area, check evasion, any other infringements or any violations of sections 27, 40 & 44 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce

Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 and rules made thereunder. This has also prior approval of the Government obtained on 26th July, 2018. This authorization is subject to condition that no traffic hindrance or any undue disruption to free flow of trade is caused. It will be reviewed periodically by the Board.

Sd/-
(Dr. R.K. KOUNDAL)
Managing Director-cum-*Member Secretary*.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 जुलाई, 2018

संख्याः एफ.डी.एस.–ए(3)–2/2016.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तोल और माप संगठन में **सहायक नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, वर्ग–II** (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप) सहायक नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान (तोल और माप), वर्ग–II (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई0 गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**——(1) अधिसूचना संख्याः एफ.डी.एस–ए(3)–20/2001 तारीख 5 सितम्बर, 2003 द्वारा अधिसूचित और समय–समय पर यथा संशोधित, हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप), सहायक नियन्त्रक, विधिक माप–विज्ञान (तोल और माप), वर्ग–II (अराजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003, का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त नियम 2(I) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

ओंकार चन्द शर्मा
प्रधान सचिव(खा0ना0आ0एवंउ0मा0)।

उपाबन्ध–''क''

हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तोलेल और माप संगठन में सहायक नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान (तोल और माप), वर्ग–II (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**—— सहायक नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान

2. **पद (पदों) की संख्या.**——07 (सात)